संख्या-1364/सत्तर-2-2008-2(140)/2002

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ:दिनांक: 18 अगस्त, 2008

विषयः- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक:सम्बद्धता/1052, दिनांक 01-03-2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन डॉ0 के0एन0 मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, मोदीनगर को बी0बी0ए0 एवं बी0सी0ए0 पाठ्यक्रमों में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन सत्र 2006-07 से सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

(1) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

(2) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।

संख्या-1364(1)/सत्तर-2-2008-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
(3) सचिव/प्रबन्धक, डॉ0 के0एन0 मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, मोदीनगर।
(4) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।